International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 03(II), July - September, 2023, pp. 96-102

गरीबी एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समस्याएँः एक अध्ययन

डॉ. सुनील दत्त जांगिड*

सार

राजस्थान एकीकरण से पूर्व 19 सामान्ती राज्यों व 3 चीफशिफों का समूह था, जिनमें सामाजिक–आर्थिक विकास काफी पिछड़ा हुआ था। उस समय की भूमि–व्यवस्था कृषिगत विकास के अनूकूल नहीं थी। कृषकों का आर्थिक शोषण होता था। राज्य का सामन्ती वातावरण और पिछड़ेपन का जनक था। इसे बदलने की नितान्त आवश्यकता थी। इसके अलावा राज्य के शुष्क व अर्द्ध–शुष्क प्रदेशों में कुल भू–क्षेत्र का 61: व जनसंख्या का 40% पाया जाता है। ये क्षेत्र प्राकृतिक विपदाओं, जैसे अकाल व सूखे के निरन्तर शिकार होते आए हैं, जिनसे गरीब विशेष रूप से त्रस्त्र होते हैं। उनके लिए रोजगार, आमदनी, खाद्यान्न व पानी, की कठिनाई उत्पन्न होती रहती है।

शब्दकोशः भूमि–व्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक विकास, कृषिगत विकास, अर्द्ध–शुष्क प्रदेश, भौगोलिक परिस्थिति।

प्रस्तावना

राजस्थान में गरीबी का एक प्रमुख कारण यहां की प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां भी है। राज्य का लगभग 61% भू–भाग शुष्क एवं रेगिस्तानी है, अरावली पर्वत की समान्तर स्थिति के कारण मानसूनी हवाएँ बिना रूकावट के बिना वर्षा गुजर जाती हैं। यहां की शुष्क एवं अर्द्ध–शुष्क जलवायु कृषि फसलों के लिए घातक एवं कम उत्पादक है। रेगिस्तानी मिट्टी का फैलाव बढ़ता जा रहा है, प्राकृतिक प्रकोप एवं वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता आदि से अकाल एवं सूखे के प्रकोप गरीबी का कारण बनते हैं। भूतल जल का अभाव एवं वर्षा की कमी से पिछले 55 वर्षों में से 47 वर्षों में अकाल एवं सूखे रहे। 1995–98 तथा 2009–2013 के अकालों ने तो राज्य के जन–धन, कृषि एवं पशुओं की भारी क्षति पहुंचाई और गरीबी को बढ़ाया।

जनसंख्या वृद्धि

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में उसकी जनसंख्या अथवा मानव संसाधनों के आकार उसकी वृद्धि दर व्यावसायिक संरचना एवं उसके स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व 1951 में जनसंख्या का आकर 1.39 करोड़ थी जो 2001 एवं 2011 में बढ़कर क्रमशः 4.40 करोड़ एवं 5.65 करोड़ हो गई। भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य का आठवाँ स्थान था। 1951 में राजस्थान

* पीएच.डी., आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, श्री नन्दकिशोर पटवारी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, नीमकाथाना, सीकर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

की जनसंख्या वृद्धि दर 18.00% थी जो 2011 में बढ़कर 28.41% थी। अतः राजस्थान की जनसंख्या में अनवरत वृद्धि होती जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार **राजस्थान के उत्तरी–पश्चिमी जिलों में जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि दर** %

तलिका 1

क्र. सं.	जिला	जनसंख्या		2001–2011 के दशक में
		2011 (लाख में)	2001 (लाख में)	जनसंख्या वृद्धि दर
1.	जोधपुर	28.81	21.53	33.77%
2.	नागौर	27.74	21.44	29.33%
3.	बाड़मेर	19.64	14.35	36.83%
4.	चूरू	19.23	15.43	24.60%
5.	झुंझुनू	19.13	15.82	20.70%
6.	गंगानगर	17.89	18.22	27.53%
7.	बीकानेर	16.73	12.11	38.18%
8.	हनुमानगढ़	15.27	12.10	24.34%
9.	जैसलमेर	5.08	3.45	47.85%
10.	जालौर	14.48	11.42	26.78%
11.	सीकर	22.87	18.42	24.11%
12	पाली	18.19	14.86	22.39%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरी–पश्चिमी राज्यों में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही। अतः अनवरत रूप में जनसंख्या बढ़ने के कारण राजस्थान के उत्तरी–पश्चिमी भाग में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जिससे जनसंख्या का लगभग भाग गरीबी रेखा से नीचे आता है।

आकस्मिक श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि

राज्य में श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों के अनुपात के बढ़ने से भी बेरोजगारी पर प्रतिकूल प्रभाव आया है (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में)। समस्त राज्य में 1987–88 में कुल श्रमिकों का अनुपात लगभग 9.5% था जो 1943 में 11.7% तथा 1997–98 में 19.6% हो गया।

इस प्रकार कुल पाँच श्रमिकों में से एक श्रमिक आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी में आता है जिसके लिए कोई नियमित कार्य की व्यवस्था नहीं है इससे इनके लिए पर्याप्त आमदनी के अवसर कम रहते है और इनमें बेरोजगारी अधिक मात्रा में पाई जाती है। राज्य में खेतीहर मजूदरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

कुटीर एवं घरेलू उद्योग धन्धों का बन्द होना

कुटीर उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जो छोटे पैमाने पर पूर्णतः या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं। मशीनें एवं नियोजित श्रम प्रायः नगण्य होता है। राजस्थान में लघु उद्योगों में तेल–धानी उद्योग, गुड़–खण्डसारी उद्योग, ग्वार–गम उद्योग, आय उद्योग, दाल उद्योग तथा चावल उद्योग प्रमुख है जबकि कुटीर उद्योगों में धानी का तेल निकालन, चमड़े का सामान बनाना, सूती वस्त्र बनाना, ऊनी वस्त्र बनाना, बंधाई, छपाई एवं रंगाई का कार्य करना, दरी, निवाड़ एवं गोटा उद्योग, लकड़ी एवं बांस उद्योग, चमड़े का सामान बनाने के लिए चर्म उद्योग तथा लाख उद्योग प्रमुख है।

राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा हस्तकलाओं का कई प्रकार से महत्व एवं भूमिका है। जहाँ एक और उनमें कम पूँजी से अधिक रोजगार, विकेन्द्रीकरण निर्यातों में वृद्धि तथा अधिक आय का स्त्रोत प्राप्त होता है। वहाँ दूसरी ओर कलात्मक एवं श्रेष्ठ उत्पादन का लाभ मिलता है। आय के समान वितरण एवं अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बड़ें उद्योगों के पूरक एवं सहायक उद्योग बनते हैं और राज्य के स्थानीय स्त्रोतों के कच्चे माल का उपयोग कर क्षेत्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

राजस्थान में पर्याप्त वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, ऊर्जा की कमी तथा अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी के अभाव के कारण लगातार कुटीर एवं घरेलू उद्योग धन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे इन उद्योग धन्धों में रोजगाररत व्यक्तियों का रोजगार खतरे में है। रोजगार के अभाव से गरीबी का दुष्चक्र प्रारम्भ होता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में समस्याओं के अम्बार के कारण ये लगातार बन्द होते जा रहे हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से राज्य में गरीबी व बेरोजगारी की विकट समस्या को बल मिला है।

औद्योगिकरण एवं मशीनकरण

योजनाबद्ध विकास के पूर्व राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था और उसका औद्योगिक उत्पादन में भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन को केवल 0.5% भाग था। राज्य में ज्यों–ज्यों औद्योगिक विकासकी गति तेज होती गई, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का अंश/हिस्सा बढ़ता गया। अभी भी राज्य में उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाया है अतः राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में उद्योगों एवं निर्माण क्षेत्रों का अंश प्राथमिक क्षेत्र के मुकाबले एक तिहाई ही है। जहाँ कृषि पशुपालन, मत्स्य एवं खनन आदि का राज्य के घरेलू उत्पाद में 2015–16 में भी (2003–04) के मूल्यों के लगभग 28.16% भाग है वहाँ उद्योगों एवं निर्माणी क्षेत्रों का लाभ लगभग 11.6 प्रतिशत है।

2003–04 के मूल्यों पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में सभी प्रकार के उद्योगों का अंश/हिस्सा

तालिका 2

विववरण	2003–04	2011–12	2012–13	2015–16
उद्योगों का शुद्ध घरेलू उत्पाद में भाग	23.35%	24.39%	27.64%	26.77%

Source: Economic Review 2015-16

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उद्योगों का शुद्ध घरेलू उत्पाद में भाग 2003–04 के मुकाबले 2015–16 में लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन औद्योगिक विकास आशा के अनुरूप नहीं हो सका है।

राजस्थान का औद्योगिक पिछड़ापन उसके रोजगार में वृद्धि का बाधक है। राजस्थान में उद्योगों की कुल रोजगार की दृष्टि से उत्साहजनक स्थिति नहीं है। योजनाबद्ध विकास से औद्योगिकरण में तेजी के कारण रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है जैसा निम्न तालिका से स्पष्ट है–

राजस्थान में पंजीकृत फैक्ट्रियाँ एवं उनके रोजगार

तलिका 3

वर्ष	पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या	कुल रोजगार (लाख में)
1991	6608	1.66
1995	8233	2.02
2000	9931	2.36
2007	17500	4.0
2011	22000	5.2

Source: Economic Review 2015-16

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में योजनावधि में राज्य में उद्योग क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो सके है।

एक ओर औद्योगिक क्षेत्र में अपर्याप्त रोजगार अवसर है, तो दूसरी ओर औद्योगिकरण एवं मशीनीकरण से राज्य के कुटीर एवं घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कुटीर व घरेलू उद्योग–धन्धे बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण बाजार से लुप्त होते जा रहें है जिससे रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रोजगार अवसर के अभाव से गरीबी की समस्या लगातार विराट रूप धारण करती जा रही है।

अशिक्षा व अज्ञानता

राजस्थान राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है। इस जनसंख्या का लगभग 76.62 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है जबकि नगरीय जनसंख्या 23.38 प्रतिशत है। राज्य के चार जिलों– जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ एवं बाड़मेर में ग्रामीण जनसंख्या 92 प्रतिशत से अधिक है।

राजस्थान राज्य में साक्षरता का प्रतिशत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी नीचा है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के अखिल भारतीय औसत 65.38 प्रतिशत के मुकाबले राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत केवल 65 प्रतिशत ही था।

साक्षरता के अभाव व ग्रामीण क्षेत्र की अधिकता के कारण व्यक्ति अज्ञानता का शिकार है। जिससे ये व्यक्ति विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों एवं स्वरोजगार के प्रयासों में पर्याप्त सहभागिता नहीं निभा पाते है। इन्हीं कारणों से गरीबी की विकट समस्या को यहाँ पर्याप्त बल मिला है।

शिक्षाप्रणाली का दोषपूर्ण होना

भारत में शिक्षा प्रणाली अभी भी परम्परागत रूप से अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की राह पर चल रही है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से भारत देश के लोग साक्षर तो हुए है लेकिन विकास के स्तर छूने में नाकामयाब रहे है। भारत का एक अभिन्न अंग होने के नाते राजस्थान राज्य में भी संघ सरकार की राह पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। राज्य के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अभाव के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार–परक शिक्षा का अभाव पाया जाता है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव पाया जाताहै। राज्य में तकनीकी शिक्षा में प्रगति आई है लेकिन आशा के अनुरूप नहीं।

प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन

अनेक विविधताओं से पूर्ण राजस्थान खनिज सम्पदा से भी सम्पन्न एवं विविध खनिजों का भण्डार है। यहाँ पर लगभग 67 प्रकार के खनिज पाये जाते है जिनमें 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के लघु खनिज है। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का 'अजायबघर' (A Museum of Minerals) भी कहते है।

राजस्थान की कुछ खनिजों में तो एकाधिकार सी स्थिति है। यहाँ भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का 92% सोप–स्टोन उत्पादन का लगभग 90% चाँदी उत्पादन का 90% तथा रॉक फास्फेट उत्पादन का 95% फेलस्पार का 75% और चूने के पत्थर का 93% उत्पादित होता है।

राजस्थान खनिजों का 'अजायबघर' होने के बावजूद भी राज्य में प्राप्त हो सकने वाले खनिजों में से लगभग 40.45% भाग ही विदोहन किया जा रहा है। खनिज क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं खोज की समस्या, खनन को उद्योगों का दर्जा देने की समस्या, अवैज्ञानित खनन एवं परम्परागत पद्धतियों तथा परिवहन व संचार साधनों के विकास की समस्या के कारण प्राकृतिक साधनों का राज्य अपूर्ण विदोहन कर पाता है।

प्राकृतिक साधनों के अपूर्ण दोहन की वजह से राज्य के व्यक्तियों को इनका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे इनकी प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी प्रतिकूल प्रभाव के कारण राज्य में 'गरीबी' की विकट समस्या को अधिक प्रयासों के बावजूद भी नियंत्रण प्राप्त नहीं किया जा सका है।

साल दर साल अकाल की मार झेलना

राजस्थान के लिए अकाल व अभाव बहुत जाने–पहचाने शब्द हैं। यहाँ के ग्रामीण जीवन से इनका चौली–दामन का साथ रहा है। राज्य के कई जिले अकाल से प्रभावित होते रहते हैं। सरकार अकाल राहत कार्य खोलती है तथा लोगों को भूख प्यास से मरने नहीं देती। पशुओं के लिए भी यथासम्भव पानी व चारे की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है। कभी–कभी अकाल भंयकर रूप धारण कर लेता है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को भारी प्रयास करना होता है। कृषिगत वर्ष 1987–88 (जुलाई–जून) का अकाल सबसे ज्यादा भीषण किस्म का था। इसमें सभी 27 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इससे राज्य के 36252 गाँवों में लगभग 3 करोड़ 17 लाख जनसंख्या व करोड़ों

पशु प्रभावित हुए थे। राज्य में वर्ष 2004–05 से लगातार अकाल पड़ते रहे हैं। 2000–01 से 2009–2010 की अवधि में राज्य केवल 2000–01 व 2004–05 में ही अकाल की विभीषिका से मुक्त रहा, अन्यथा प्रति वर्ष अकाल राज्य में पैर पसार रहा है, और राज्य के विभिन्न जिलों में काफी गाँवों में लोग व पशु इसकी गिरफ्त में रहे हैं। वर्ष 2009–10 का अकाल अपनी भीषणता व विकरालता के कारण मीड़िया में काफी चर्चित रहा है। राज्य के 32 जिलों में से 26 जिलों के लगभग 23406 गाँवों में लगभग 2.6 करोड़ लोग व लगभग 3.5 करोड़ पशु इससे बुरी तरह प्रभवित हुए थे। 2009–10 में सरकार ने भू–राजस्व का निलम्बन (Suspension) लगभग 2.28 करोड़ रुपए का किया था। 2010–2011 की अवधि में 31 जिलों की 3.30 करोड़ आबदी व 30583 गाँव प्रभावित हुए थे। 2011–2012 में अकाल से 18 जिलों के 7964 गाँव प्रभावित हुए; प्रभावित जनसंख्या 69.7 लाख आंकी गई थी। 2012–2013 का अकाल व सूखा 'मेक्रो–ड्रॉउट' कहा गया है, क्योंकि इस वृहत् अकाल का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों तक फैल गया था। 2012–2013 के अकाल से 32 जिलों के 40990 गाँव प्रभावित हुए तथा राज्य की 4.48 करोड़ जनसंख्या अकाल की गिरफ्त में आ गयी, ऐसा पहले कभी नही देखा गया था।

2013–2014 में भी अकाल से 3 जिले प्रभावित हुए थे। अकालग्रस्त गाँवों की संख्या 649 रही थी। 2014–2015 में राजय के 31 जिलों के 19814 गाँव में 2.28 करोड़ जनसंख्या अकाल व अभाव से प्रभावित हुई थी। सरकार को भू–राजस्व में 1.68 करोड़ रु. का निलम्बन करना पड़ा था। 2015–16 में 22 जिलों 15778 गाँवों की लगभग 1.98 करोड़ जनसंख्या अकाल/अभाव से प्रभावित हुई और 1.23 करोड़ रु. की राशि भू–राजस्व के रूप में निलम्बित की गयी। 2016–17 में 22 जिलों में 10529 गाँव अकाल व अभाव से प्रभावित हुए। 2017–18 में 12 जिलों में 4309 गाँव अकाल व अभाव से प्रभावित हुए थे।

अकाल एवं सुखे की मार के कारण लगातार रोजगार अवसर घटते जाते हैं एवं राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई।

अधिकत्तर भाग रेगिस्तानी होना

राजस्थान को प्राकृतिक रचना एवं बनावट के आधार पर मुख्यतः चार भागों में विभक्त कर सकते है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान को बीचो–बीच दो भागों में विभक्त करती है। उत्तरी–पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है जिसमें जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर रेतीले आते है। दक्षिण–पूर्वी भाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर आदि आते है।

उत्तर–पश्चिमी भाग में सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है जबकि दक्षिणी–पूर्वी भाग में क्षेत्रफल का 2/5 भाग है।

राज्य का उत्तर–पश्चिमी भाग 'थार का रेगिस्तान' कहा जाता है जो अरावली पहाड़ियों के उत्तर–पश्चिमी ढाल के 480 से 608 कि.मी. तक फैला हुआ है। इसके अन्तर्गत राज्य के 12 जिलें– जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, नागौर, गंगानगर, सीकर, झुन्झुनू, बाड़मेर, पाली, जोधपुर तथा जालौर जिले आते है। इस भाग में पानी का नितान्त अभाव है तथा वर्षा का वार्षिक औसत 15'' से 20'' है।

इस प्रकार से राज्य के उत्तरी–पश्चिमी क्षेत्र में, जो राज्य के लगभग 188 से 206 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है, अधिकत्तर भाग रेगिस्तानी है। अनुपजाऊ मिट्टी, वर्षा के अभाव एवं प्रतिकूल जलवायु व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ के व्यक्तियों को आय अर्जित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अधिकत्तर भाग रेगिस्तानी होने से कृषि से प्राप्त होने वाली आय भी कम ही होती है। अतः उत्तरी–पश्चिमी भाग के रेगिस्तानी होने से इस क्षेत्र में गरीबी की विकट समस्या को बढ़ावा मिला है।

स्वरोजगार की इच्छा का अभाव

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की एक प्रमुख समस्या युवाओं में स्वरोजगार की इच्छा का अभाव भी है। इसका एक प्रमुख कारण वित्त का अभाव भी है, जिसके चलते युवा लघु एवं कुटीर उद्योग आदि लगाने से भी बचते हैं। भारत में औद्योगिक ढाँचे में लघु उद्योगों के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। इनके लिए स्थिर पूँजी व कार्यशील पूँजी दोनों की आवश्यकता होती है। इनको पूँजी प्रदान करने वाले कुछ परम्परागत साधन रहे हैं, लेकिन आधुनिक युग में वे अपर्याप्त सिद्ध हो चुके हैं। लघु उद्योगों के स्वामी प्रायः अपनी पूँजी से कार्यारम्भ करते हैं। उन्हें समय–समय पर सर्राफों, महाजनों व व्यापारियों से पूँजी की सहायता मिलती है। वे अपने मित्रों व सम्बन्धियों से भी पूँजी जुटाते हैं। लेकिन ये साधन अब लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं माने जा सकते। लघु उद्योगों प्रायः व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी अथवा निजी सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के आधार पर संगठित किए जाते हैं। कहीं–कहीं ये सार्वजनिक कम्पनियों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। इन्हें संगठित मुद्रा–बाजार से पूँजी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनके शेयरों का बिकना कठिन होता है।

राज्य वित्त निगम बनने से पूर्व राज्य सरकारें इन अधिनियमों के अन्तर्गत लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करती थी। सर्वप्रथम 1952 में तमिलनाडु में एक अधिनियम पास हुआ था। बाद में अन्य राज्यों में भी ऐसे अधिनियम पास किए गए। इनके अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने वार्षिक बजट में लघु उद्योगों को उधार देने के लिए धन की व्यवस्था करती रही हैं। आवेदन पत्र की पर्याप्त जाँच करने के बाद उधार की राशि स्वीकार की जाती है। भारत में ये ऋण अधिक लोकप्रिय नहीं हुए हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे– सरकार प्रतिवर्ष उधार के लिए बजट में मामूली रकम रखती है, एक व्यक्ति को थोड़ी रकम प्राप्त हो सकती है, उधार की राशि स्वीकृत होने में बहुत समय नष्ट हो जाता है तथा उधार का सौदा गुप्त नहीं रखा जाता है। इन कारणों से इन अधिनियमों के अन्तर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता सफल प्रमाणित नहीं हुई है।

कृषि का बढ़ता दबाव

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र द्वारा सृजित होता है तथा जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। राज्य में मानसून की अवधि कम है। राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलम्ब से आता है एवं जल्दी ही चला जाता है। वर्षा की अवधि में भी उतार–चढ़ाव होता है। काश्तकारी वर्षा पर निर्भर है जो अपर्याप्त, कम एवं अनिश्चित रहती हैं। राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है।

राज्य में एक सुविकसित कृषि विस्तारतंत्र का सृजन हुआ है, यद्यपि प्राकृतिक गतिरोध जैसे उष्ण जलवायु समस्याग्रस्त मृदिका एवं क्षारीय जल कृषि क्षेत्र के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले हैं। इसके अतिरिक्त तीव्र जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, लघु एवं सीमान्त कृषकों की बड़ी संख्या तथा तकनीकी अन्तराल जैसे सामाजिक अवरोधों के कारण राज्य के कृषि उत्पादन में आ रहे उतार–चढ़ाव से कृषि समुदाय की क्षमता में कमी आई है।

मानसून

राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है। यहाँ कृषि का भविष्य मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करती अपितु यह वर्षा के उपयुक्त समयान्तराल में उचित वितरण, पर्याप्तता तथा तीव्रता पर भी निर्भर करती है।

निष्कर्ष

"गरीबी निराशा है ऐसे पिता की जो दरिद्र देश में उत्पन्न हुआ है जिसे सात व्यक्तियों के परिवार का पालन करना है पर जो बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ में शामिल होता है और जिसके सामने बेरोजगारी की क्षतिपूर्ति की कोई सम्भावना नहीं हैं। गरीबी लालसा है ऐसे नवयुवक बालक की जो गाँव के विद्यालय के बाहर तो खेलता

है, पर उस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके माता–पिता के पास पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। गरीबी उन माता–पिता का शोक है जो अपने तीन वर्ष के बालक को साधारण सी बचपन की बीमारी से मरते तो देख सकते हैं..... पर इलाज नहीं करा सकतें।"

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कोटिया, पी.के., रोल, ऑफ फाईनेंनसियल इन्स्टीट्यूसन इन रिजनल डेवलपमेन्ट ऑफ इण्डिया, 2012.
2. अग्रवाल, ए.एन. एवं सिंह, द इकोनोमिक ऑफ अन्डर डेवलपमेंन्ट एण्ड प्लानिंग विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008.
3. ओझा, मधुसूदन, मत्स्य प्रदेश का इतिहास (हस्तलिखित पाण्डुलिपि), 2002.
4. खेरा, एस.एस., गोरमेंट मेंट इन बिजनेश, 1980.
5. चतुर्वेदी टी. एन. एवं बन्सल एस.पी., राजस्थान वैभव नई दिल्ली 1989.
6. दत्त, रूदौर., सोशियल जनरेशन इकोनोमिक रिफॉरमिंग इन इंडिया, दीप एवं दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2003.
7. पाण्डे, राम, पेन्टिग एज ए सोर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, जयपुर 1986.

❖◆❖